न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 72/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मृतक रामदयाल के वारिश 1. शिवप्रताप पुत्र रामदयाल 2. श्रीमती सुशीला पत्नी रामदयाल 3. श्रीमती आनन्द पुत्री रामदयाल जातिगण चारण निवासीगण पांचेटिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. रामकृपाल पुत्र हरीसिंह जाति चारण निवासी पांचेटिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 24-12-18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 409/1999 रामदयाल के वारिश शिवप्रताप वगैरा बनाम रामकृपाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2010 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार यह थे कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी कब्जा काश्त सुदा भूमि है। जो पूर्व में हरीसिंह जी के नाम की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 14 रकबा 89 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 14/1 रकबा 5 बिस्वा थे। खसरा नम्बर 14 के हाल खसरा नम्बर 42, 43, 44 व 47 बने तथा खसरा नम्बर 14/1 के हाल खसरा नम्बर 45 व 46 बने। वक्त भू-प्रबन्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खसरा नम्बर 47 की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली तथा खसरा नम्बर 45 व 46 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आधे हिस्से की भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवा ली एवं खसरा नम्बर 42, 43 व 44 में अपीलाण्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसकी माता रसालकंवर का बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया, जबकि सम्पूर्ण भूमि पुश्तैनी होने के कारण बहिस्सा बराबर दर्ज होनी थी, जो नहीं की गई। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा प्रस्तुत किया, उसमें पारिवारिक बंटवाडा व परिशोधन पत्र सम्वत् 2035 सम्बन्धी दस्तावेजात् का उल्लेख नहीं है, इस कारण भी बाद में जो दस्तावेज प्रस्तुत करने का आवेदन किया, वो बाद की उपज हो सकती है, यदि ऐसा होता तो रसालकंवर ने जो जवाबदावा पेश किया, उसमें हरीसिंह द्वारा बंटवाडे के दस्तावेज निष्पादित करने का कोई उल्लेख होता, किन्तु ऐसा उल्लेख नहीं है, फिर भी जो दस्तावेज जवाबदावे के साथ नही थे एवं न ही उसका उल्लेख था, उन दस्तावेजात् को रेकर्ड पर लेकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। भू–प्रबन्ध विभाग का कार्य मात्र बीघे को हैक्टेयर प्रणाली में दर्ज करना तथा नक्शे व खसरे का सही नाप चौक कर मौके की स्थिति अनुसार नक्शा तैयार कर भूमि की किस्म बदलकर लगान निर्धारित करना था, किसी की खातेदारी भूमि बदलने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं था, फिर भी पारिवारिक बंटवाडे दर्ज करने की जो आज्ञा पारित की है, वह क्षैत्राधिकार विहिन आदेश था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय को निरस्त किया जाना चाहिए था, जो नहीं करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के तथ्यों एवं साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज करावें। अपीलाध्ट को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त होते ही उनके द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय की प्रति प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज़ योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा देरी का कोई कारण ही स्पष्ट नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट के पिता हरीसिंह द्वारा पारिवारिक बंटवाडे में अपीलाण्ट को ग्राम पांचेटिया की भूमि प्रदान की है तथा पारिवारिक बंटवाडे के आधार पर ही भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रेकर्ड को तहरीर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। इन समस्त तथ्यों को रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2014–15 (सप्ली.) पेज 441, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 33 तथा डी0एन0जे0 (राज.) 2000 पेज 804 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2010 को पारित की गई है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08.2016 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 6 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण अपीलाण्ट का ग्रामीण परिवेश से होना एवं विधिक जानकारी का अभाव होना बताया है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है। अब प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाए, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया, उसका मुख्य आधार जैर अपील विवादित आराजी का पुश्तैनी होना बताते हुए हरीसिंह के विधिक वारिशान का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कराने का अनुतोष चाहा। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि की प्रविष्ठियों को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार तहरीर करने तथा अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि ग्राम पांचेटिया में प्रदान करने के कारण राजस्व रेकर्ड में जो प्रविष्ठियां दर्ज हुई है, उन्हे विधि सम्मत बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दादरसी सहित कुल 6 तनकीयात कायम की। जिनका दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निविश्चय किया गया है। प्रकरण में जो मुख्य दस्तावेजी साक्ष्य है, वह प्रदर्शित दस्तावेज 6 (A) है। प्रदर्श–6 (A) लिखत तकासमा खातेदारी हकूक के सम्बन्ध में है, जिसमें हरीसिंह पुत्र रामप्रताप जाति चारण निवासी पांचेटिया द्वारा अपने पुत्र रामदयाल एवं रामकृपाल के पक्ष में निष्पादित करते हुए अपनी खातेदारी भूमि का रामदयाल एवं रामकृपाल के मध्य विभाजन करते हुए अधिकार प्रदान किए गए है, जिसमें गत खसरा नम्बर 14 व 14/1 की भूमि रामकृपाल को दिया जाना अंकित है। उक्त दस्तावेज जिला पंजीयक, पाली द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज है, जिसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। इस लिखत के आधार पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट खसरा परिशोधन पत्र तैयार किया गया, जो प्रदर्श–1 है, जिसके आधार पर रेकर्ड तहरीर व तकमील किया गया। इन समस्त तथ्यों एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में हुए परिवर्तन की पुष्टि करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 409/1999 रामदयाल के वारिश शिवप्रताप वगैरा बनाम रामकृपाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.11.2010 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली